राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा/बैठक/2017/8445 दिनांकः 09-01-2017

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 30-01-2017

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालयों/कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों एवं लेखाकर्मियों की मासिक बैठक **दिनांक 30-01-2017 को मध्यान्ह पूर्व 11:00 बजे** अधोहस्ताारकर्ता की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की जा रही है। समस्त लेखाकर्मी नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नांकितानुसार सूचना बैठक में अपने साथ लेकर आयेगें :-

1. समस्त बजट मदों में प्राप्त राशि के परिप्रेक्ष्य में संभावित व्यय का आंकलन करावें तथा संभावित बचत राशि समर्पण के बजट मदवार प्रस्ताव बैठक में साथ लावें।
2. **विभागीय पत्रांक 1029 दिनांक 07.12.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 में बेस एम्बूलेन्स पर हुए व्यय की संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र में अवश्य लाया जाना सुनिश्चित करें। यदि पूर्व में सूचना प्रेषित कर दी गयी हो तो भी छाया प्रति बैठक में उपलब्ध करावें।**
3. **मासिक आय एवं व्यय विवरणः-** सम्बन्धित सहा. लेखाधिकारी माह दिसम्बर 2016 तक के समस्त आय एवं व्यय मदों (आयो. भिन्न/आयोजना) के मासिक विदरण निर्धारित समय तक निदेशालय में आवश्यक रूप से भिजवायें तथा आय एवं व्यय मानचित्रों में टी.वी. न0 आवश्यक रूप से अंकित हो सुनिशिचित किया जाये। जिन कार्यालयों ने आय मदों के विवरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है। माहवार सूचना साथ में लेकर आवें एवं सूचना निल होने पर निल की सूचना भी आवश्यक रूप से मीटिंग में लावें।
4. राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 26-12-2016 में प्रमुख शासन सचिव महोदय ने महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की समस्त बकाया एवं प्रथम अनुपालनाएं अतिशीघ्र प्राप्ति के प्रथम माह में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है। समस्त कार्यालय बैठक में लम्बित प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालनाएं साथ लावें।
5. प्रमुख शासन सचिव के निर्देशानुसार महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के समस्त लम्बित प्रतिवेदनों के बकाया पैराज शत-प्रतिशत निस्तारण करवाया जाना है। आगामी बैठक में बकाया पैराज की ठोस अनुपालना प्रस्तुत करावें। जोन स्तर पर बकाया पैराज की अनुपालनाएं इकजाई कर पूर्ण कार्य योजना बनाकर बैठक में प्रस्तुत करें।
6. वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक कार्यालयों के नाकारा/सरप्लस/अनुपयोगी सामान का निस्तारण/पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण एवं अवधिपार भेषज एवं औषधियों का निस्तारण सम्बन्धी सूचना निर्धारित प्रपत्रों में बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें। अनुपयोगी सामग्री व अवधिपार भेषज एवं औषधियों के निस्तारण/नष्टीकरण के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा भी की जावेगी।
7. चोरी/गबन के प्रकरणों के सम्बन्ध में केसवार नवीनतम सूचनाएं एवं न्यायालय में विचाराधीन चोरी/गबन प्रकरणों में वसूली के विरूद्ध न्यायालय से स्टे नहीं है उन प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें। समस्त बकाया प्रकरणों के वसूली के संबंध में विचार विर्मश किया जायेगा।
8. निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जाँच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों में दोषी कर्मचारी अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही नहीं करने, वसूली योग्य राशि की वसूली नहीं किये जाने को राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से लिया जाकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। अतः विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों कि पूर्ण एवं ठोस अनुपालनाऐं बैठक में आवश्यक रूप से साथ लावें।
9. राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 26-12-2016 में निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की पालना समय पर न प्राप्त होने को गंभीरता से लिया गया है। अतः मीटिंग में उपस्थित लेखा कर्मी अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों को भण्डार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालना नियन्त्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित निरीक्षण विभाग को भिजवाते हुए अनुपालना की प्रति मीटिंग में लाना सुनिश्चित करें।
10. राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 26-12-2016 में आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा नहीं भिजवाने को गंभीरता से लिया गया है। अतः समस्त कार्यालय आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम/बकाया अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे एवं मीटिंग में उपस्थित लेखा कर्मी अपने एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करते हुए एकीकृत सूचना मीटिंग में लाना सुनिश्चित करें।
11. राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 26-12-2016 में ओ.बी. आईटम्स की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनाएं न भिजवाने को गंभीरता से लिया गया है। अतः समस्त कार्यालय बकाया ओबी आईटम्स की अनुपालनाएं प्रधान महालेखाकार को भिजवाते हुए जोन की इकजाई सूचना बैठक में आवश्यक रूप से लेकर आवें।
12. एसी बिल से आहरित राशि के सम्बन्ध में बकाया लम्बित डीसी बिल को तैयार कर सम्बन्धित ट्रेजरी के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को समयोजन हेतु भिजवाते हुए सूचना साथ में लावें।
13. जोधपुर/उदयपुर जोन कार्यालय वित्तीय वर्ष 2015-16 के स्टोर एवं स्टॉक लेखे की संकलित सूचना तैयार कर मीटिंग में साथ लावें।
14. प्रपत्र 1 से 8 की सूचनाऐं सभी प्रकार से पूर्ण हो सुनिश्चित किया जावें। प्रपत्र संख्या 1, 4 एवं 8 की सूचना अलग एवं प्रपत्र संख्या 2, 3, 5, 6 एवं 7 की सूचना अलग से जोनवार समेकित कर बैठक में आवश्यक रूप से साथ में लावें।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर
दिनांकः 09-01-2017

क्रमांकः लेखा/बैठक/2017/8445

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अति0 निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सैठी कॉलोनी, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कल्याण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर।
7. मुख्य लेखधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
8. भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
9. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन/मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी/प्र. चि. अधिकारी
10. लेखाधिकारी/स0ले0अ0 (बजट/आन्तरिक अंकेक्षण/महालेखाकार अंकेक्षण/भण्डार क्रयण संगठन) मुख्यालय जयपुर।
11. **प्रभारी, सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।**
12. केयर टेकर, कृपया दिनांक 30-01-2017 को प्रातः 11.00 बजे से मिटिंग हॉल आरक्षित करें।

उप वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

D:\Batra ji AAO\Letter-6.doc Email: famh-rj@nic.in